



# BHAGWATI COLLEGE

(Affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut and Recognised by NCTE and BCI New Delhi)

दिनांक-20-08-2025

## कार्यालय आदेश

भगवती कॉलेज ऑफ लॉ के समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या D.O.No.1-2/2024(SCT/Circular) दिनांक 10 January, 2025 के संदर्भ में महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ (SC/ST Grievance and Redressal Cell) का गठन सत्र 2025-26 के लिए किया जाता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. कु0 पिकी सागर, सहायक अध्यापक, विधि विभाग         | नोडल अधिकारी |
| 2. श्री अमर धीरन, सहायक अध्यापक, विधि विभाग         | सदस्य        |
| 3. श्रीमति कोमल गोस्वामी, सहायक अध्यापक, विधि विभाग | सदस्य        |
| 4. डा0 सुमन, सहायक अध्यापक, विधि विभाग              | सदस्य        |

उक्त प्रकोष्ठ के दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संलग्न पत्र में दिये गये हैं। प्रकोष्ठ से अपेक्षा है कि उक्त के आलोक में अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

### प्रतिलिपि:

1. विभागाध्यक्ष विधि विभाग।
2. कु0 पिकी सागर, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
3. श्री अमर धीरन, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
4. श्रीमति कोमल गोस्वामी, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
5. डा0 सुमन, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
6. प्रशासनिक कार्यालय।
7. श्री अरुण पवॉर कॉलेज की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(प्राचार्य)  
Bhagwati College of Law  
Shwava, Meerut